मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2012-अग्रहायण 23, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, विवाह पूर्व मेरा नाम कु.नीरज चतुर्वेदी पुत्री श्री चन्द्रभान चतुर्वेदी, शिवाजी कॉलोनी, ग्वालियर था. दिनांक 26 नवम्बर, 2011 में मेरा विवाह श्री विवेक कुमार दुबे पुत्र स्व. श्री कृपाराम दुबे, बिरलानगर, ग्वालियर से होने के उपरांत मुझे अब श्रीमती वैदेही दुबे पत्नी श्री विवेक कुमार दुबे के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(नीरज चतुर्वेदी)
पुत्री श्री चन्द्रभान चतुर्वेदी

नया नाम :

(वैदेही दुबे)
पत्नी श्री विवेक कुमार दुबे,
338, न्यू कॉलोनी नं. 1,
बिरलानगर, ग्वालियर (म. प्र.).

(218-बी.)

उपनाम में सुधार

मैं, मुकेश पिता रमेश विसावे, आयु 24 वर्ष, निवासी महात्मा गाँधी नगर, वार्ड क्रमांक 20, नेपानगर तहसील क्षेत्र में निवास करता हूँ. शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं, उपरोक्त पते पर अपने परिवार के साथ निवास करता हूँ. मेरे शाला अभिलेख में तथा हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट अंकसूची में मेरे नाम के आगे मेरा उपनाम/सरनेम त्रुटीपूर्ण बिसावे (Bisawe) लिखा गया है. जबकि मेरा मूल एवं वास्तविक व सही उपनाम/सरनेम विसावे है.

यहकि मैं, अपने सभी दस्तावेजों में मेरा सही उपनाम/सरनेम विसावे (Visave) अंकित कराना चाहता हूँ. इस वास्ते उद्घोषण कर शासकीय गजट में प्रकाशित कराना चाहता हूँ.

पुराना नाम :

(मुकेश बिसावे)

नया नाम :

(मुकेश विसावे)
पिता रमेश विसावे,
नेपानगर, जिला-बुरहानपुर (म. प्र.).

(216-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम जिगर मजमुन्दार पिता श्री मोहित मजमुन्दार था. अब मेरा नाम जयन्त मजमुन्दार पिता श्री मोहित मजमुन्दार हो गया है. अत: अब मुझे अब इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(जिगर मजमुन्दार)

(217-बी.)

नया नाम :

(जयन्त मजमुन्दार)

28, Royal Bungalow City,
Sukhliya, Indore (M. P.).

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला होशंगाबाद

क्र./ /वित्त/ए.एफ.सी./26/2012.—श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर की पत्र क्रमांक 1/9/अन्वे/पांच/2010/37608-777, इन्दौर दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 के अनुसार शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 से प्रभावशील दरें "अनुसूची (क)" के अनुसार अधिसूचित की गई है.

मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ट-6 के नियम-43 के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से अनुसूची (क) के आधार पर निम्नानुसार दरें अधिसूचित की जाती हैं. तद्नुसार जिला होशंगाबाद के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू होंगी.

अनुसूची (क)

शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है. **(आंकड़े रुपयों में)**

श्रमिक वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउण्ड-अप दैनिक दरें
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	2	3	4	5	6	7	8
अकुशल	3070.00	102.33	1875.00	62.50	4945.00	164.83	165.00
अर्धकुशल	3200.00	106.66	1875.00	62.50	5075.00	169.16	169.00
कुशल	3350.00	111.66	1875.00	62.50	5225.00	174.16	174.00

इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिकों के लिये अनुसूची "द" निम्नानुसार है :—

अनुसूची-द

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है **(आंकड़े रुपयों में)**

श्रमिक वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंड-अप दैनिक दरें
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	2	3	4	5	6	7	8
अकुशल कृषि श्रमिक	2550.00	85.00	1416.00	47.20	3966.00	132.20	132.00

राहुल जैन,
कलेक्टर.

(605)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, मुरार, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 20 नवम्बर, 2012

प्र. क्र. 01/2012-13/बी-113 (1).

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

श्री केदार प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप शर्मा, निवासी—किचलू साहब का बाड़ा, बारादरी, अध्यक्ष सनाढय सभा, मुरार, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय, ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	. .	श्री केदार प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप शर्मा, निवासी—किचलू साहब का बाड़ा, बारादरी, अध्यक्ष सनाढय सभा, मुरार
लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन—		
2. चल सम्पत्ति	. .	निल
3. अचल सम्पत्ति	. .	निल

(601)

प्र. क्र. 01/2011-12/बी-113 (1).

ग्वालियर, दिनांक 22 नवम्बर, 2012

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

"श्री अशोक कुमार निगम पुत्र कृष्ण प्रसाद निगम, मुख्य प्रबन्ध न्यासी/अध्यक्ष" श्रीमती आभा निगम चैरिटेबल ट्रस्ट, निवासी—प्लॉट नम्बर 131-133, ब्लॉक ई, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय, ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता . . "श्री अशोक कुमार निगम पुत्र कृष्ण प्रसाद निगम, मुख्य प्रबन्ध न्यासी/अध्यक्ष" श्रीमती आभा निगम चैरिटेबल ट्रस्ट, निवासी—प्लॉट नम्बर 131-133, ब्लॉक ई, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर

लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन—

2. चल सम्पत्ति . . 88,000/-रुपये

3. अचल सम्पत्ति . . ग्राम-जडेरूआ कलां की भूमि सर्वे क्रमांक-21, 23, 24 में से रकबा 0.094 हेक्टेयर अर्थात् 9 विस्वा भूमि.

अजय देव शर्मा,
पंजीयक.

(601-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन

प्र. क्र. 01/बी-113 (1)/12-13.

फॉर्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्षः- पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन.

चूँकि प्रार्थी ट्रस्टी श्याम सुन्दर महाजन द्वारा हरे कृष्णा इन एवरी टाऊन एण्ड विलेट ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	अनुमानित कीमत/मूल्यांकन
1.	नगद . .			रुपये 50,000/-
2.	अचल सम्पत्ति . .	—	—	—

कैलाश बुन्देला,
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पंजीयक.

(602)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग, सीहोर

प्र. क्र. 02/बी-113 (1)/2012-13.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) द्वारा]

1. श्री राकेश राय आ. स्व. श्री गेंदालाल राय,
2. श्री सुदेश राय आ. स्व. श्री गेंदालाल राय,
3. श्री अखलेश राय आ. स्व. श्री गेंदालाल राय,
4. श्रीमती अरूणा राय पत्नि श्री सुदेश राय,
5. श्रीमती नमिता राय पत्नि श्री अखलेश राय,
6. श्रीमती रोमनी राय पत्नि श्री राकेश राय

समस्त निवासीगण राय, विला जंगली अहाता, सीहोर, तहसील व जिला सीहोर.

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. सर्व-साधारण .....अनावेदकगण

उद्घोषणा-पत्र

एतद्द्वारा सर्व- साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि क्रिसेन्ट चैरिटेबल फाउण्डेशन ट्रस्ट राय विला जंगली अहाता सीहोर द्वारा

ट्रस्टीगण राकेश राय आ. स्व.श्री गेंदालाल राय आदि निवासीगण राय विला जंगली अहाता तहसील व जिला सीहोर द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण क्र.02/बी-113 (1)/ 1908-09, पारित आदेश दिनांक 10 नवम्बर,2009 से सीहोर में क्रिसेन्ट चैरिटेबल फाउण्डेशन ट्रस्ट राय विला सीहोर में निम्नानुसार ट्रस्टीगण के नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा, चिकित्सा, जाति समुदाय, धर्म अथवा भाषा के भेदभाव के बगैर सुविधा उपलब्ध कराना इत्यादि होना बताया गया है. उक्त ट्रस्ट में निम्नानुसार आवेदकगण के नाम आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय त्रुटिवश छूट गये थे जिन्हें ट्रस्ट प्रकरण क्र. 02/बी-113 (1)/08-09 में जोड़े जाने का अनुरोध किया गया है.—

1. श्री रांझा राय आ. राकेश राय
2. श्री निलेश राय आ. स्व. श्री गेंदालाल राय
3. श्रीमती सुषमा राय पत्नि निलेश राय तीनों निवासीगण ऑल्ड क्रिसेन्ट के पीछे इंदौर-भोपाल रोड, जंगली अहाता, भोपाल रोड राय विला सीहोर.

उक्त आवेदन-पत्र के संबंध में इस न्यायालय में दिनांक 31 जनवरी, 2013 को सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई है. उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह उद्घोषणा के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात 30 दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक, अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. निश्चित अवधि उपरांत प्राप्त होने वाली आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा.

आज दिनांक नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

हृदयेश श्रीवास्तव,
पंजीयक.

(603)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, ब्यावरा, जिला राजगढ़

दिनांक 12 नवम्बर, 2012

प्रारूप क्र.-चार

[देखिए नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला राजगढ़ के समक्ष

यहकि श्री दिलवार यादव पिता श्री हजारीलाल यादव, निवासी ब्यावरा, तहसील ब्यावरा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्याय के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 30 जनवरी,2013 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश:अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम	. .	माधव स्मृति न्यास, ब्यावरा
2.	चल सम्पत्ति	. .	11,100/-रुपये
3.	अचल सम्पत्ति	. .	ग्राम बख्तपुरा में 6 वर्ष पुराना 2500 वर्गफुट भूमि पर बना भवन कीमत 10,00,000/-

नीता राठोर,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(604)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/444.—आम्बुआ मार्बल औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, आम्बुआ जिसका कि पंजीयन क्रमांक 348, दिनांक 28 फरवरी, 1992 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/368, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-15-1-99-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए आम्बुआ मार्बल औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, आम्बुआ जिसका कि पंजीयन क्रमांक 348, दिनांक 28 फरवरी,1992 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एल. सूर्यवंशी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(606)

अलीराजपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/445.—रेत खादान सहकारी समिति मर्यादित, राजावाट, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 735, दिनांक 14 दिसम्बर, 1992 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/369, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-15-1-99-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए रेत खादान सहकारी समिति मर्यादित, राजावाट, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 735, दिनांक 14 दिसम्बर,1992 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ओ.पी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(606-A)

अलीराजपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/446.—गिट्टी निर्माण औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, छोटीबेगलगांव जिसका कि पंजीयन क्रमांक 731, दिनांक 14 दिसम्बर,1992 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/370, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-15-1-99-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए गिट्टी निर्माण औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, छोटीबेगलगांव, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 731, दिनांक 14 दिसम्बर,1992 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एस. सोंलकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(606-B)

अलीराजपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/447.—श्री गणेश ईंट-भट्टा प्राथ. औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, बेहडवा जिसका कि पंजीयन क्रमांक 971, दिनांक 01 जून, 2002 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/371, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-15-1-99-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए श्री गणेश ईंट-भट्टा प्राथ. औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, बेहडवा जिसका कि पंजीयन क्रमांक 971, दिनांक 01 जून, 2002 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री श्याम छत्तरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(606-C)

अलीराजपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/448.—शहीद चन्द्रशेखर आजाद बहु. सहकारी समिति मर्यादित, भाबरा जिसका कि पंजीयन क्रमांक 1000, दिनांक 29 मार्च, 2006 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/372, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-15-1-99-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए शहीद चन्द्रशेखर आजाद बहु. सहकारी समिति मर्यादित, भाबरा जिसका कि पंजीयन क्रमांक 1000, दिनांक 29 मार्च, 2006 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री कमल सिंह गार्डे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(606-D)

अलीराजपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/449.—चारभुजा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, अलीराजपुर जिसका कि पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 16 मई, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/373, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-15-1-99-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए चारभुजा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, अलीराजपुर जिसका कि पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 16 मई, 2007 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. वासन्दे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(606-E)

अलीराजपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/450.—आजाद मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, बडागुडा जिसका कि पंजीयन क्रमांक 1028, दिनांक 08 अगस्त, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/374, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-15-1-99-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए आजाद मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, बडागुडा जिसका कि पंजीयन क्रमांक 1028, दिनांक 08 अगस्त, 2008 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय उपरीत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं, एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमाप्पन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(606-F)

अलीराजपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/451.—माँ अम्बिका महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, पलासदा जिसका कि पंजीयन क्रमांक 1034, दिनांक 28 फरवरी, 2009 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/375, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-15-1-99-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए माँ अम्बिका महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, पलासदा जिसका कि

पंजीयन क्रमांक 1034, दिनांक 28 फरवरी, 2009 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्हाय.एस. वाघेला, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(606-G)

अलीराजपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/452.—आजाद ताडी गुड उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भीलखेडी (जोबट) जिसका कि पंजीयन क्रमांक 1025, दिनांक 31 जनवरी,2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/376, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-15-1-99-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए आजाद ताडी गुड उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भीलखेडी (जोबट) जिसका कि पंजीयन क्रमांक 1025, दिनांक 31 जनवरी,2008 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्रसिंह चौहन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(606-H)

अलीराजपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/453.—रेत खदान औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, खूटाजा जिसका कि पंजीयन क्रमांक 925, दिनांक 23 फरवरी, 1996 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/377, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-15-1-99-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए रेत खदान औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, खूटाजा, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 925, दिनांक 23 फरवरी,1996 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आई. डी. सर्राफ, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(606-I)

अलीराजपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/454.—रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, उमराली जिसका कि पंजीयन क्रमांक 784, दिनांक 05 मार्च,1993 है, को

परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/378, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-15-1-99-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, उमराली जिसका कि पंजीयन क्रमांक 784, दिनांक 05 मार्च,1993 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आई. डी. सर्राफ, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं, एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

(606-J)

अलीराजपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/455.—रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, सेजगांव जिसका कि पंजीयन क्रमांक 733, दिनांक 14 दिसम्बर,1992 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/379, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिए 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ एवं मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-15-1-99-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, सेजगांव जिसका कि पंजीयन क्रमांक 733, दिनांक 14 दिसम्बर,1992 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय उपरीत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं एवं निर्देशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किये गये.

बबलू सातनकर,
उप पंजीयक.

(606-K)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत शुभ-लाभ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./807, दिनांक 29 मई, 2001 है, संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत कार्यालय को एक आवेदन ठहराव प्रस्ताव सहित प्रस्तुत कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निवेदन किया गया है. जिसका परीक्षण आदेश क्र./परिसमापन/12/4169, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 से परीक्षण अधिकारी द्वारा कराया गया जिसमें परीक्षण अधिकारी द्वारा संस्था का उद्देश्य पूर्ण होना बताया गया है.इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जगदीश कनोज, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला इन्दौर शुभ-लाभ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कोरी, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जगदीश कनोज,
उप रजिस्ट्रार.

(607)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 06 नवम्बर, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1992/1541/विदिशा, दिनांक 25 जून, 1992 से आदिवासी कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, चौपड़ा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./245, दिनांक 04 दिसम्बर, 1982 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड ग्यारसपुर को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, चौपड़ा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, चौपड़ा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./245, दिनांक 04 दिसम्बर, 1982 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(608)

विदिशा, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1882/विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ग्यारसपुर, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./283, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड ग्यारसपुर को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ग्यारसपुर, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ग्यारसपुर, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./283, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप पंजीयक.

(608-A)

कार्यालय परिसमापक रातातलाई, दुग्ध सह. समिति मर्या.,रातातलाई, तहसील बागली, जिला देवास

दिनांक 20 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.—रातातलाई सहकारी दुग्ध संस्था मर्या., रातातलाई, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1064,

दिनांक 30 मई, 2003 है को उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक सह. संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्र. 1409, दिनांक 25 मई, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है..

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत कर सकतें है. त्रूटी की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्ताधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(609)

कार्यालय परिसमापक चैनपुरा, दुग्ध सह. संस्था मर्या.,चैनपुरा, तहसील बागली, जिला देवास

दिनांक 20 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.—चैनपुरा सहकारी दुग्ध संस्था मर्या., चैनपुरा, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 210, दिनांक 01 मार्च, 1980 है को उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक सह. संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्र. 134, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत कर सकतें है. त्रूटी की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्ताधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जी.एस. जैन,
परिसमापक.

(609-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

स्टैट बैंक ऑफ इन्दौर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयम क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./73, दिनांक 13 दिसम्बर, 1978 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1373, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टैट बैंक ऑफ इन्दौर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एस. तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(610)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

सत्यराज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./356, दिनांक 09 सितम्बर, 2003 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1359, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर.के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्यराज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुधीर सिंह कुशवाह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. वाजपेई,
उप-पंजीयक.

(610-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में वर्णित सहकारी संस्थाओं को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपछि/परि/2012/771, दिनांक 19 अप्रैल, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन प्रस्तुत करें. संस्थाओं के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए जवाब में लेख किया गया है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है तथा आर्थिक रूप से अक्षम होने के कारण संस्था निर्वाचन कराने में अक्षम है. उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्थाएं सहमत हैं तथा संस्थाएं अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्थाएं अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उन्हें अस्तित्व में बनाये रखने का औचित्य नहीं होने से संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस.डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में वर्णित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 4 में वर्णित कर्मचारियों को उक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अंतिम प्रतिवेदन 02 माह की अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक
1	2	3	4
1.	पं. दीनदयाल मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, खापाबिहारी	375/10-8-1992	श्री आर. के. गौतम, उप-अंकेक्षक.
2.	श्री शारदा शिक्षक साख सहकारी समिति मर्यादित, लोधीखेड़ा	148/24-8-1987	श्री के. डी. सातनकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सौंसर.
3.	कालरी कर्मचारी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, चांदामेटा (अपनी दुकान).	144/22-8-1963	श्री आर. एस. दुबे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(611)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाय़टी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक/सपछि/अंके/2012/391, दिनांक 19 नवम्बर, 2011 के द्वारा निम्नांकित सहकारी समितियों (जिन्हें आगे संस्था कहा गया है) के संबंध में अवगत कराया गया है कि निम्न संस्थाएं उनके नाम के सम्मुख दर्शित अवधि से अकार्यशील होने से संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है. विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	नाम समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	अकार्यशील रहने की अवधि
1	2	3	4	5
1.	लावाघोघरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लावाघोघरी.	677/22-03-2006	मोहखेड़	विगत 2-3 वर्ष से

1	2	3	4	5
2.	मछेरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मछेरा.	678/22-03-2006	मोहखेड़	विगत 2-3 वर्ष से
3.	मोहगांवनाराजी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांवनाराजी.	694/4-10-2007	मोहखेड़	-,,-
4.	पटनिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पटनिया.	716/20-11-2009	मोहखेड़	-,,-
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उभेगांव.	506/10-05-1995	छिन्दवाड़ा	-,,-
6.	कोहका दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोहका.	693/4-10-2007	परासिया	-,,-
7.	सैलाखेड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सैलाखेड़ा.	695/4-10-2007	परासिया	-,,-
8.	कोंडरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोंडरा.	696/4-10-2007	परासिया	-,,-
9.	तुरसी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तुरसी	697/4-10-2007	परासिया	-,,-
10.	मारई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,मारई.	717/20-11-2009	परासिया	-,,-
11.	बांगई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बांगई.	703/01-01-2009	तामिया	-,,-
12.	बेलखेड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बेलखेड़ी.	704/01-01-2009	तामिया	-,,-
13.	हरसरिवारी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हरसदिवारी.	705/01-01-2009	तामिया	-,,-
14.	निशान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, निशान.	706/01-01-2009	तामिया	-,,-
15.	जामुनढोंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जामुनढोंगा.	707/24-01-2009	तामिया	-,,-
16.	मुंगसिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मुंगसिया.	708/24-01-2009	तामिया	-,,-
17.	भाण्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भाण्डी.	709/24-01-2009	तामिया	-,,-
18.	कुर्सीढ़ाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुर्सीढ़ाना.	710/24-01-2009	तामिया	-,,-
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भजिया.	428/14-12-1993	अमरवाड़ा	-,,-
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बांकामुकासा.	430/14-12-1993	अमरवाड़ा	-,,-

1	2	3	4	5
21.	नौशक्ति प्रजापति उद्योग सहकारी समिति, परासिया.	147/24-08-1987	परासिया	विगत 2-3 वर्ष से
22.	महादेव खाण्डसारी उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छिन्दवाड़ा.	548/26-03-1996	छिन्दवाड़ा	-,,-
23.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, कोहपानी.	667/08-09-2005	कोहपानी	-,,-
24.	रैदास चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पाण्ढुर्ना.	676/13-03-2006	पांढुर्णा	-,,-
25.	कालरी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ठिसगोरा.	446/23-07-1994	परासिया	-,,-
26.	श्री गायत्री गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, पांढुर्णा.	181/15-01-1988	पांढुर्णा	-,,-
27.	ग्रामभारती महिला बहु. सह. समिति मर्या., अंबाड़ा.	662/31-5-2005	परासिया	-,,-
28.	नारी प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, छिन्दीपातालकोट.	640/21-02-2003	तामिया	-,,-
29.	पार्वति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, ढिमराढाना.	668/18-11-2005	छिन्दवाड़ा	-,,-
30.	हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, चांगोवा.	449/21-09-1994	पांढुर्णा	-,,-

अत: मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, अत: क्यों न संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें. यदि संस्था इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन चाहती है तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करे. यदि संस्था ने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 24 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया,
उप-पंजीयक.

(611-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 नवम्बर, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 ''सी'' के अन्तर्गत)

उप-आयुक्त, सहकारिता छिन्दवाड़ा के संशोधित आदेश क्र./उपछि/परि./2009/383, छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 अप्रैल, 2009 के अनुसार

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:—

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक / दिनांक
1	2	3
1.	कर्मा कन्सट्रक्शन्स सहकारी समिति मर्या., सारना	1098/09-08-2004

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हों तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी /उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 19 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(612)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 नवम्बर, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 ''सी'' के अन्तर्गत)

उप-आयुक्त, सहकारिता छिन्दवाड़ा के संशोधित आदेश क्र./उपछि/परि./2012/1310, छिन्दवाड़ा, दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:—

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक / दिनांक
1	2	3
1.	बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	1018/10-08-2010
2.	जाग्रति बुनकर सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	1018/10-08-2010
3.	अमर हरिजन बुनकर सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	1018/10-08-2010
4.	जय भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भानादेही	1018/10-08-2010
5.	जयसेवा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., माल्हनवाडा	1018/10-08-2010
6.	प्राथ. वसुधा यातायात सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	1018/10-08-2010

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हों तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी /उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 19 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

एम. एल. चौकसे,

(612) परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2012-अग्रहायण 23, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 अगस्त, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है .—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह (मुरैना), पिछोर, खनियाधाना, बदरवास (शिवपुरी), छतरपुर (छतरपुर), पन्ना (पन्ना), मानपुर (उमरिया), सुवासरा-टप्पा (मंदसौर), शुजालपुर (शाजापुर), राणापुर (झाबुआ), धरमपुरी (धार), बड़वानी, हरसूद (खण्डवा), नेपानगर (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, सारंगपुर (राजगढ़), सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया (भोपाल), आमला (बैतूल),सोहागपुर (होशंगाबाद), ढीमरखेड़ा (कटनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील डबरा (ग्वालियर), मुंगावली, ईसागढ़ (अशोकनगर), बकस्वांहा (छतरपुर), गुन्नौर, शाहनगर (पन्ना), हटा (दमोह), गरोठ, संजीत (मंदसौर), खाचरोद, तराना, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), कालापीपल (शाजापुर), जोवट, अलीराजपुर, सोण्डवा (अलीराजपुर), गंधवानी, डही (धार), ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, अंजड, वरला (बड़वानी), खण्डवा (खण्डवा), राजगढ़, व्यावरा, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), भैसदेही, बैतूल, मुलताई (बैतूल), सिवनी-मालवा, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोरा (जबलपुर), कटनी, बहोरीबंद, बरही (कटनी), मण्डला (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), कुरई, बरघाट (सिवनी), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील विजयपुर (श्योपुर), ग्वालियर, घाटीगांव (ग्वालियर), अशोकनगर, चंदेरी (अशोकनगर), पृथ्वीपुर, ओरछा, बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), पवई (पन्ना), बटियागढ़, जवेरा (दमोह), अनूपपुर (अनूपपुर), रामपुरनैकिन (सीधी), भानपुरा, सीतामऊ, शामगढ़ (मंदसौर),महिदपुर, उज्जैन (उज्जैन), मो.बड़ोदिया, सुसनेर, नलखेड़ा, आगर, शाजापुर (शाजापुर), भामरा (अलीराजपुर), सरदारपुर, धार, मनावर (धार), लटेरी (विदिशा), आष्टा (सीहोर), शाहपुर (बैतूल), होशंगाबाद (होशंगाबाद), रीठी, विजयराघवगढ़ (कटनी), गाडरवाडा, करेली, नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), केवलारी, धनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा (मुरैना), श्योपुर, कराहल (श्योपुर), भितरवार (ग्वालियर), जतारा, टीकमगढ़, पलेरा, निवाड़ी (टीकमगढ़), लौण्डी, गौरीहार, नौगांव, बिजावर, बड़ामल्हारा (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), दमोह, पथरिया, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह), त्यौंथर, मऊगंज, हजूर, गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), जेतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), सिंहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट (सीधी), मल्हारगढ़, मंदसौर, धुन्धडका (मन्दसौर), घटिया (उज्जैन), बडोद, गुलाना (शाजापुर), कट्टीबाडा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), बदनावर, कुक्षी (धार), बुरहानपुर, खकनार (बुरहानपुर), हुजूर (भोपाल), सीहोर, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी (सीहोर), घोड़ाडोंगरी, चिचोली (बैतूल), इटारसी, पिपरिया (होशंगाबाद), पाटन, जबलपुर, मझौली, कुण्डम (जबलपुर), गोटेगांव, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), निवास, बिछिया, नैनपुर, घुघरी, नारायणपुर (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी), जुन्नारदेव, सोंसर, चौरई, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), सिवनी, लखनादौन, घंसोर, छपारा (सिवनी), बालाघाट, बैहर, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(इ) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.—तहसील सिरमोर (रीवा), पाली (उमरिया), गोपदवनास (सीधी), नीमच (नीमच), छिन्दवाड़ा, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, मोहखेड़ा, हर्रई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.—तहसील जावद, मनासा (नीमच), परासिया, ताबिया (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मण्डला में जुताई व ग्वालियर, टीकमगढ़, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी तथा सिवनी में फसल धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मण्डला, डिण्डोरी में जगनी व सिवनी में रामतिल, कोदोकुटकी तथा कहीं-कहीं खरीफ फसल की बोनी का कार्य चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला अशोकनगर, खरगौन में फसल सोयाबीन पर इल्ली का प्रकोप कहीं-कहीं पर है.

5. **कटाई.**—

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सीधी, झाबुआ, बड़वानी, विदिशा, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 29 अगस्त, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	12.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	90.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	125.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	77.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	49.4				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	36.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	23.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	72.2				
4. घाटीगांव	46.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	. .	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	13.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	15.0				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	15.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. इल्ली का प्रकोप.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	33.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	34.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	44.0				
4. चन्देरी	53.0				
5. शाढोरा	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	113.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	50.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	55.0				
4. लिधोरा	. .				
5. टीकमगढ़	56.0				
6. मोहनगढ़	. .				
7. बल्देवगढ़	48.0				
8. पलेरा	95.0				
9. खरगापुर	. .				
10. ओरछा	53.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	97.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	150.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	68.2				
4. छतरपुर	4.0				
5. राजनगर	48.6				
6. बिजावर	105.0				
7. बड़ामलहरा	122.2				
8. बकस्वाहा	18.0				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	82.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	11.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	34.0				
4. पवई	35.0				
5. शाहनगर	23.4				
***जिला सागर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	24.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	53.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	67.6				
4. पथरिया	116.0				
5. जवेरा	36.0				
6. तेन्दूखेड़ा	198.8				
7. पटेरा	190.0				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	153.0	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	262.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	162.0				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	151.0				
6. गुढ़	135.8				
7. नईगाढ़ी	. .				
8. रयपुरकर्चुलियान	157.0				
9. सेमरिया	. .				
10. जवा	. .				
7. मनगवां	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
5. बुढार	. .				
6. गोहपारू	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	54.0	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	41.9		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	76.6				
4. पुष्पराजगढ़	65.1				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	66.5	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	262.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	9.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसलों की बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	345.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	69.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझोली	153.6				
4. कुसमी	59.0				
5. चुरहट	233.5				
6. रामपुरनैकिन	39.0				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	10.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	37.8		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	70.0				
4. गरोठ	25.6				
5. मन्दसौर	60.0				
6. संजीत	27.0				
7. सीतामऊ	40.6				
8. शामगढ़	38.5				
9. धुन्धडका	81.6				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	517.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	424.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	620.1				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	34.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	43.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	26.8				
4. घटिया	74.0				
5. उज्जैन	36.0				
6. बड़नगर	26.8				
7. नागदा	22.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	38.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	52.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	44.0				
4. आगर	45.0				
5. बड़ौद	90.0				
6. शाजापुर	51.0				
7. शुजालपुर	15.0				
8. कालापीपल	19.0				
9. गुलाना	55.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	3.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	19.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. उदयगढ़	60.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अलीराजपुर	33.8				
4. भामरा	42.0				
5. कट्टीवाड़ा	88.3				
6. सोण्डवा	32.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	54.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	35.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	44.9				
4. कुक्षी	70.7				
5. मनावर	49.0				
6. धरमपुरी	8.7				
7. गंधवानी	27.0				
8. डही	18.0				
***जिला इन्दौर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की फसल में इल्ली का प्रकोप है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	3.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	25.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	24.0				
4. सेंधवा	29.0				
5. पानसेमल	19.0				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	7.6				
8. अंजड	25.0				
9. बरला	29.0				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	21.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	16.0				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बुरहानपुर	64.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. खकनार	89.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	15.5				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	8.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	25.2				
4. ब्यावरा	22.8				
5. सारंगपुर	11.5				
6. नरसिंहगढ़	21.0				
7. पचोर	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	36.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	8.6				
4. बासौदा	7.6				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	4.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	14.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	54.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	98.1		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	35.0		(2) . .	. .	
3. इछावर	102.0				
4. नसरुल्लागंज	229.0				
5. बुधनी	100.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. भैसदेही	29.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	125.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	51.6				
4. चिचोली	77.3				
5. बैतूल	31.4				
6. मुलताई	22.4				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	17.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	24.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	43.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	54.6				
5. सोहागपुर	11.0				
6. पिपरिया	85.0				
7. वनखेड़ी	31.2				
8. पचमढ़ी	33.8				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	28.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	110.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	99.6				
4. मझौली	74.2				
5. कुण्डम	134.2				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	24.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	35.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	53.0				
4. बहोरीबंद	30.2				
5. ढीमरखेड़ा	15.0				
6. बरही	21.0				
7. बड़वारा	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	40.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	39.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	50.0				
4. गोटेगांव	55.0				
5. तेन्दूखेड़ा	54.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	81.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	89.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	112.0				
4. मण्डला	23.4				
5. घुघरी	54.3				
6. नारायणगंज	78.3				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जगनी की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	29.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	94.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	405.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	220.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	578.8				
4. जामई (ताबिया)	563.8				
5. सोंसर	113.5				
6. पांढुर्णा	268.8				
7. अमरवाड़ा	340.2				
8. चौरई	161.4				
9. बिछुआ	186.1				
10. हर्रई	386.7				
11. मोहखेड़ा	419.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल रामतिल, कोदो-कुटकी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	67.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	36.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	84.0				
4. बरघाट	18.9				
5. कुरई	21.0				
6. घंसौर	105.0				
7. धनोरा	41.2				
8. छपारा	77.3				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	99.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	23.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	60.5				
4. वारासिवनी	95.2				
5. कटंगी	132.8				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, सागर, सतना, शहडोल,रतलाम, इन्दौर व रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(600)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.